रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072026-274553
CG-DL-E-16072026-274553

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3728]	नई दिल्ली, बुधवार , जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948
No. 3728]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

का.आ. 3891(अमहानिदेशक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, डाकघर अधिनियम, 2023 (2023 का 43) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर विनियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर विनियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के, विनियम 23 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“23क. रद्द करना और डाक शुल्क वापस करना.- (1) प्रेषक, डाकघर द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले वेब पोर्टल या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्वयं बुक की गई किसी वस्तु को रद्द कर सकेगा।

(2) डाकघर काउंटर पर बुक की गई वस्तु के मामले में, प्रेषक डाकघर में बुकिंग रद्द करने का अनुरोध कर सकेगा या डाकघर, उसी दिन गलत डाटा प्रविष्टि के लिए बुकिंग रद्द कर सकेगा।

(3) इस प्रकार रद्द होने पर डाक शुल्क वापस करना, समय-समय पर विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार स्वीकार्य होगा।"

3. उक्त विनियमों में,- (i) विनियम 55 में, उप-विनियम (1) में, "और अंतर्राष्ट्रीय आवक डाक वस्तु" शब्दों का लोप किया जाएगा।

(ii) विनियम 57 में, उप-विनियम (1) के परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) विनियम 119 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदशों के अनुसार, सेवाओं के निलंबन की स्थिति में प्रेषक को डाक शुल्क, विशेष फीस और हवाई अधिभार वापस किया जा सकेगा।";

(iv) विनियम 119 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"119क. अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तुओं को वापस मंगाना और पुनर्निर्देशन और अनुरोध करने की प्रक्रिया.- (1) लेखादेय जावक अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तु का प्रेषक, समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार, किसी भी कारण से बुकिंग कार्यालय से डाक वस्तु को वापस मंगा सकेगा।

(2) लेखादेय आवक अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तु का प्रेषिती, अनुसूची I की सारणी 6 में उल्लिखित डाक शुल्क का भुगतान कर किसी भी कारण से डिलीवरी कार्यालय से डाक वस्तु को पुनर्निर्देशित कर सकेगा, जो मूल और दूसरे पते के एक ही डाकघर के डिलीवरी क्षेत्र के भीतर होने के मामले में निःशुल्क होगा।

(3) प्रेषक या प्रेषिती या उनका अधिकृत व्यक्ति, उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित सुविधा का लाभ उठाने के लिए संबंधित डाकघर में लिखित अनुरोध करेंगे।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन अनुरोध करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(5) समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार प्रेषक को डाक शुल्क, विशेष फीस और हवाई अधिभार वापस किया जा सकेगा।

(6) लेखादेय अंतरराष्ट्रीय डाक वस्तु का प्रेषक समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार, इस संबंध में संबंधित डाक प्रशासन की नीति के अधीन विदेशी गंतव्य से डाक वस्तु को वापस मंगा या पुनर्निर्देशित कर सकेगा।"

[फा.सं. डीए-26/3/2020-डीए]

लक्ष्मीकांत दाश, उप महानिदेशक

टिप्पण :- डाकघर विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 5440 (अ.), तारीख 16 दिसंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार संख्यांक का.आ. 1595 (अ.), तारीख 25 मार्च, 2026 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2026

S.O. 3891(E).— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Post Office Act, 2023 (43 of 2023), the Director General with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Post Office Regulations, 2024, namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These regulations may be called the Post Office (Fourth Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the said regulations), after regulation 23, the following regulation shall be inserted, namely:-

“23A. Cancellation and refund of postage.- (1) The sender may cancel an item self-booked through the web portal or mobile application prior to its acceptance by the Post Office.

(2) In case of item booked at the Post Office counter, the sender may request cancellation of the booking at the Post Office or the Post Office may cancel the booking for incorrect data entry, on the same day of the booking.

(3) Upon such cancellation, the refund of postage shall be admissible in accordance with the administrative instructions issued by the Department from time to time.”.

3. In the said regulations,- (i) in regulation 55, in sub-regulation (1), the words “and international inward item" shall be omitted.

(ii) in regulation 57, in sub-regulation (1), the proviso shall be omitted;

(iii) in regulation 119, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) The postage, special fee, and air surcharges may be refunded to the sender in the event of suspension of services in accordance with the administrative instructions issued from time to time.”;

(iv) after regulation 119, the following regulation shall be inserted, namely:-

“119A. Recall and Redirection of International Postal Items and the Procedure for Making Requests.- (1) The sender of an accountable outward international postal item may recall the item from the office of booking, for any reason, in accordance with the administrative instructions issued from time to time.

(2) The addressee of an accountable inward international postal item may redirect the item from the office of delivery for any reason by paying a postal fee as mentioned in Table VI of Schedule I, which shall be free of charge in case of original and substitute address are within delivery area of same Post Office.

(3) The sender or addressee or their authorized person shall make a written request in the concerned Post Office, for availing the facility referred to in sub-regulations (1) and (2).

(4) No fee shall be collected for making a request under sub-regulation (1).

(5) The postage, special fee and air surcharges may be refunded to the sender in accordance with the administrative instructions issued from time to time.

(6) The sender of an accountable international item may further recall or redirect the item from foreign destination subject to the policy of the concerned postal administration in this regard, in accordance with the administrative instructions issued from time to time.”.

[F.No. DA-26/3/2020-DA]

LAKSHMIKANTA DASH, Dy. Director General

Note: The Post Office Regulations, 2024 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 5440 (E), dated the 16th December, 2024 and was last amended *vide* number S.O. 1595 (E), dated the 25th March, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.07.16 16:24:59 +05'30'